**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालय**

**राजस्‍व विभाग**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं0 \*163**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार दिनांक 4 अगस्‍त, 2015/13 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है।)

**वस्‍तु और सेवा कर में तम्‍बाकू-उत्‍पादों को शामिल किया जाना**

**\***163. श्री नरेश गुजराल:

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि सिगरेट, बीड़ी और पान मसाला सहित सभी तम्‍बाकू- उत्‍पादों को

 प्रस्‍तावित वस्‍तु और सेवा कर के दायरे में शामिल किया जाएगा;

(ख) क्‍या इससे इन उत्‍पादों पर, जो लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; कर में

 कमी नहीं होगी; और

(ग) क्‍या यह भी सच है कि इसके परिणामस्‍वरूप राज्‍य इन उत्‍पादों पर दंडात्‍मक-कर लगाने का अपना अधिकार खो देंगे?

उत्‍तर

**वित्‍त मंत्री ( श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण -पत्र सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

**4 अगस्‍त, 2015 को उत्‍तर हेतु राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं \*163 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में संदर्भित विवरण-पत्र।**

संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014 के उपबंधों के अनुसार तम्‍बाकू माल और सेवा कर (जीएसटी) के अधीन होगा। इस उत्‍पाद पर प्रभारित किए जाने वाले शुल्‍क की दर संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुच्‍छेद 279 क में किए गए प्रस्‍ताव के अनुसार जीएसटी परिषद द्वारा बताई जाएगी।

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

**अतारांकित प्रश्न सं0.873**

(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2015/6 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**पुस्‍तकों पर वस्‍तु और सेवा कर**

**873. श्री नरेश गुजराल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या यह सच है कि वस्तु और सेवा कर के लागू होने के पश्‍चात् सभी पुस्‍तकें (पाठ्य-पुस्‍तकों के अतिरिक्‍त) और कला संबंधी कार्य वस्तु और सेवा कर संबंधी परिषद द्वारा यथा-निर्धारित वस्‍तु और सेवा कर संबंधी दरों के अध्‍यधीन होंगे ;

(ख) क्‍या इससे हमारी संस्‍कृति के संवर्धन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(घ) क्‍या सरकार इन्‍हें वस्‍तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखने पर विचार करेगी ?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जयंत सिन्हा)**

(क) जी, हां।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : जी, नहीं । प्रस्‍तावित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के अध्‍यक्ष केंद्रीय वित्‍त मंत्री होंगे और राज्‍यों के वित्‍त एवं कराधान के प्रभारी मंत्री इसके सदस्‍य। माल एवं सेवा कर परिषद माल एवं सेवाओं को माल एवं सेवा कर के अधीन लाने या उन्‍हें छूट देने के संबंध में केंद्र एवं राज्‍यों को सिफारिश करेगी ।

भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं0 2461

(जिसका उत्‍तर मंगलवार दिनांक 11 अगस्‍त, 2015/20 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**केंद्र और राज्‍यों के बीच वस्‍तु और सेवा कर (जीएसटी) राजस्‍व बंटवारे के लिए मानदंड**

**2461. प्रो० एम० वी० राजीव गौडा** :

 क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्‍या केंद्र और विभिन्‍न राज्‍यों के बीच वस्‍तु और सेवा कर राजस्‍व बंटवारे के आधार संबंधी मानदंडों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है; यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्या है;
2. क्‍या वस्‍तु और सेवा कर विनिर्माण स्‍तर अथवा विक्रय स्‍तर पर वसूल किया जाएगा; और
3. संयुक्‍त उत्‍पाद शुल्‍क, सीमा शुल्‍क विक्रय और मूल्‍य वर्धित कर की तुलना में वसूल किए गए समग्र वस्‍तु और सेवा कर का ब्‍यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

1. एवं (ख): प्रस्‍तावित माल और सेवा कर (जीएसटी) व्‍यवस्‍था के तहत केंद्र और राज्‍य दोनों एक साथ समूची मूल्‍य श्रृंखला में जीएसटी लगाएंगे। कर माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। केंद्र केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) लगाएगा और एकत्र करेगा तथा राज्‍य एक राज्‍य के भीतर सभी संव्‍यवहारों पर राज्‍य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) लगाएंगे और एकत्र करेंगे। केंद्र माल और सेवाओं की सभी तरह की अंतर-राज्‍य आपूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) लगाएगा और एकत्र करेगा। आईजीएसटी की प्राप्‍तियों को राज्‍यों और केंद्र के बीच, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर कानून के माध्‍यम से संसद द्वारा यथा उपबंधित प्रस्‍तावित अनुच्‍छेद 269 क के तहत संविभाजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्‍त, केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित सीजीएसटी और एकत्रित किए गए आईजीएसटी में से संघ के हिस्‍से को अनुच्‍छेद 270 के उपबंधों के अनुसार राज्‍यों को अंतरित किया जाएगा।

(ग): जीएसटी की दरें संविधान में संशोधन के बाद जीएसटी परिषद द्वारा इसके गठन के बाद बताई जाएंगी।